महत्वपूर्ण एवं खास

एसबीआई के 13775 पद के लिए 7 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित

रायगढ़। भारतीय स्टेट बैंक के 13775 जूनियर एसोसिएट (कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स) की भर्ती की जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 7 जनवरी 2025 तक लिया जाएगा। इसकी विस्तृत जानकारी वेबसाइट एसबीआई डॉट को डॉट इन sbi.co.in में उपलब्ध है और इस वेबसाइट में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आंगनबाड़ी में रिक्त कार्यकर्ता एवं सहायिका पद के लिए 15 जनवरी तक मंगाए गए आवेदन

रायगढ़। एकीकृत बाल विकास परियोजना रायगढ़ (शहरी)अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र ट्रांसपोर्टनगर वार्ड क्रमांक 42 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद रिक्त है। इसी तरह आंगनबाड़ी केन्द्र ट्रांसपोर्टनगर वार्ड क्रमांक 42, आंगनबाड़ी केन्द्र चमड़ागोदाम वार्ड क्रमांक 38 एवं आंगनबाड़ी केन्द्र कुम्हारपारा वार्ड क्रमांक 7 में आंगनबाड़ी सहायिका के पद रिक्त है। उक्त पद की पूर्ति हेतु इच्छुक आवेदिकाओं से 15 जनवरी 2025 तक आवेदन मंगाए गए है। नियुक्ति से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश परियोजना कार्यालय के सूचना पटल पर अवलोकन कर सकते है। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

जिला स्तरीय अल्पसंख्यक कल्याण समिति एवं प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम समिति का हुआ पुर्नगठन

रायगढ़। छत्तीसगढ़ शासन राज्य अल्प संख्यक आयोग द्वारा जारी आदेश एवं प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पश्चात पूर्व में गठित समिति को निरस्त करते हुए उनके स्थान पर नई जिला स्तरीय अल्पसंख्यक कल्याण समिति एवं प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम समिति का पुर्नगठन किया गया है। गठित जिला स्तरीय अल्पसंख्यक कल्याण समिति में कलेक्टर कार्तिकेया गोयल को अध्यक्ष एवं आदिवासी विकास रायगढ़ के सहायक आयुक्त को सदस्य सचिव बनाया गया है। इसी तरह गठित समिति में असलम हुसैन, गुलाम रहमान खान, साहिल मनिहार, आशिया बानो, हैदर रजा खान, रईस सिद्दीकी, मेहरून निशा, रितेश जैन, दीपक अरोरा, रफीक मोहम्मद, दिनेश किस्पोट्टा, संजय टोप्पो, सै.इफ्तेखार खान (चिंटू), शेख हाफिज खान, ज्ञान सिंह एवं बादशाह खान को सदस्य बनाए गए है। इसी तरह प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम समिति में फिरोज अली, प्रदीप खलखो एवं अजरूद्दीन खान को सदस्य बनाए गए है।

एफ..एल.-2(क) स्तरीय रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति के नवीन अनुज्ञप्ति की स्वीकृति हेतु निर्देश जारी

रायगढ़। राज्य शासन द्वारा एफ.एल.2(क) (स्तरीय रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति) नवीन अनुज्ञप्ति की स्वीकृति हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। निर्देशानुसार ऐसे स्थान जिसकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक न हो 18 लाख रुपये लायसेंस फीस एवं 1 लाख से 3 लाख जनसंख्या वाले स्थान हेतु 24 लाख रुपये एवं 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर/स्थान हेतु 31 लाख 20 हजार रुपये लायसेंस फीस निर्धारित की गई है। रेस्टोरेन्ट बार लायसेंस हेतु नगर निगम की सीमा से 10 कि.मी. एवं नगर पालिका की सीमा से 5 कि.मी. की परिधि में लायसेंस फीस वही होगी जो नगरीय क्षेत्रों के लिए स्थित बार के लिए लागू होगी। एफ.एल.2(क) (स्तरीय रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति) लायसेंस हेतु निर्धारित मापदण्डों को पूरा करना होगा। राज्य शासन द्वारा 25 हजार की जनसंख्या में एक एफ..एल.2 तथा एफ..एल.3 लायसेंस दिए जाने की सीमा निर्धारित की गई है। यदि किसी प्रकरण में जनसंख्या एवं अन्य मापदण्ड हेतु निर्धारित सीमा को शिथिल करने की आवश्यकता होगी।

फील्ड विजिट के दौरान अधिकारी स्कूल, आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य केंद्रों का जरूर करें निरीक्षण-कलेक्टर गोयल

- धान खरीदी केंद्रों का हर सप्ताह होना चाहिए भौतिक सत्यापन, कलेक्टर गोयल के अधिकारियों को निर्देश
- तहसीलों में लगाए जाएंगे राजस्व शिविर, कलेक्टर गोयल ने दिए निर्देश
- क्षेत्रीय सरस मेला आयोजन की तैयारियां समय से पूरी करने के कलेक्टर गोयल ने दिए निर्देश
- कलेक्टर गोयल ने ली समय-सीमा की बैठक

रायगढ़

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने सभी अधिकारियों से कहा कि निरीक्षण के लिए जब फील्ड में जाएं तो उस रूट के स्कूल, आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य केंद्रों की जांच अवश्य करें। उन्होंने कहा कि स्कूलों का संचालनए छात्रों को मिलने वाले मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता अवश्य जांचे। आंगनबाड़ी का समय सारिणी के अनुसार संचालन, अस्पतालों में इलाज और संस्थागत प्रसव की जानकारी लें। इसका प्रतिवेदन जिला स्तर पर दें।

कलेक्टर गोयल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि विभाग स्तर पर निराकृत हो सकने वाले प्रकरण के लिए लोगों को अनावश्यक रूप से जिला स्तर तक न आना पड़े। सक्षम अधिकारी समस्याओं को प्राथमिकता से निराकृत करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी ध्यान रखें कि पूरे जिले में सभी कार्यालय टाइम से खुले। कार्यालयीन स्टाफ निर्धारित समय से ड्यूटी पर उपस्थित हो।

कलेक्टर गोयल ने धान खरीदी और उठाव के संबंध में विभागीय अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने उपार्जन केंद्रों से नियमित से रूप से धान के उठाव करवाने अधिकारियों को निर्देशित किया। उपार्जन केंद्रों का साप्ताहिक भौतिक सत्यापन नियमित रूप से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस कार्य में लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समय से सत्यापन कर रिपोर्ट नहीं देने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर गोयल ने खनिज विभाग को अवैध उत्खनन और परिवहन पर नियमित रूप से कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

बैठक में सीईओ जिला पंचायत जितेन्द्र यादव, प्रभारी अपर कलेक्टर ऋषा ठाकुर सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

माइक्रोप्लानिंग के साथ आयुष्मान वय वंदना योजना कार्ड निर्माण में लाएं प्रगति

कलेक्टर गोयल ने आयुष्मान वय वंदना योजना में 70 प्लस वृद्धजनों के कार्ड बनाने का काम ब्लॉकवार माइक्रोप्लान बनाते हुए कार्य करने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिए। उन्होंने सभी ब्लॉक के सीईओ जनपद और बीएमओ को आपसी समन्वय बनाते काम में तेजी लाने के निर्देश दिए।

तहसीलों में आयोजित होंगे राजस्व शिविर

कलेक्टर गोयल ने सभी एसडीएम को तहसीलों में राजस्व शिविरों का आयोजन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गांवों का क्लस्टर बनाकर शिविर के लिए स्थल का चयन करें। शिविर लगाने से पहले उन गांवों में मुनादी और प्रचार-प्रसार अवश्य करवाएं। जिससे अधिक से अधिक लोग इन शिविरों का लाभ ले सकें।

क्षेत्रीय सरस मेला आयोजन की तैयारियों की हुई समीक्षा

3 से 12 जनवरी तक रायगढ़ में क्षेत्रीय सरस मेला का आयोजन होने जा रहा है। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने तैयारियों की समीक्षा की। कलेक्टर गोयल ने अधिकारियों से कहा कि समय से सारी तैयारियां पूरी कर ली जाए। उन्होंने विभागों को स्व-सहायत समूहों के उत्पादों को अनिवार्य रूप से रखने के निर्देश दिए। आयोजन स्थल पर टेंट, लाइटिंग, बेरीकेडिंग सहित अन्य सभी तैयारियां पूरी कर ली जाए।

ट्रेलर से बैटरी चोरी का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, कोतवाली पुलिस ने भेजा रिमांड पर

रायगढ़

ट्रेलर वाहन से बैटरी चोरी के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को कल कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर चोरी की गई बैटरी बरामद किया गया। घटना 20 जुलाई 2023 की है, जब ट्रेलर वाहन (सीजी 13 एल 1484) का चालक वाहन खराब होने के बाद खाना खाने के लिए डीपापारा उर्दना क्षेत्र में रुका था। वापस लौटने पर उसने तीन व्यक्तियों को बैटरी चुराते हुए देखा। आरोपी स्कूटी से भागने की कोशिश में वाहन वहीं छोड़कर फरार हो गए थे। चालक की रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 379 और 427 के तहत अपराध क्रमांक 552/2024 दर्ज कर जांच शुरू की गई। घटना में उपयोग की गई स्कूटी (सीजी 13-यूसी-5211) की पहचान के बाद उसके मालिक से पूछताछ में स्कूटी का उपयोग रजनीश चौहान नामक युवक द्वारा किए जाने की जानकारी मिली।

कोतवाली टीआई सुखनंदन पटेल के हमराह प्रधान आरक्षक श्रीराम साहू द्वारा आरोपी रजनीश चौहान (30 वर्ष) को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उसने अपने साथियों टिकेश्वर चौहान और भूपेंद्र साहू के साथ बैटरी चोरी करना स्वीकार किया। रजनीश की निशानदेही पर चोरी की गई बैटरी को बरामद कर लिया गया है। घटना में शामिल अन्य दो आरोपी टिकेश्वर चौहान और भूपेंद्र साहू फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। आरोपी रजनीश चौहान, पिता बुधपाल सिंह चौहान, उम्र 30 वर्ष, निवासी मेरीन ड्राइव, मणिकंचन के पीछे, पंजरी प्लांट, रायगढ़ को कल गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। फरार आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इस मामले में कठोर कार्रवाई की जाएगी।

18.96 लाख रुपए के सरिया गबन मामले में आरोपी गिरफ्तार

- 35 टन सरिया जब्त

रायगढ़

थाना पूंजीपथरा पुलिस ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए रु.18,96,968 मूल्य के 35.020 मैट्रिक टन सरिया गबन मामले के आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है।

दिनांक 10.11.2024 को रिपोर्टकर्ता दीपक बंसल (पिता: अरुण कुमार बंसल, उम्र: 27 वर्ष, निवासी: सेक्टर-14, हिसार, हरियाणा) ने थाना पूंजीपथरा में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि दिनांक 18.10.2024 को रायगढ़ इस्पात एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड, देलारी से ट्रक (क्रमांक CG 10 BM 1833) में 35.020 मैट्रिक टन सरिया लोड कर हरियाणा के हिसार स्थित "सुगम एसोसिएट्स" के लिए रवाना किया गया था। ट्रक चालक मुकेश साहू द्वारा सरिया गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचाया गया। रिपोर्टकर्ता द्वारा ट्रक चालक से संपर्क का प्रयास किया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ट्रक के अन्यत्र बेच दिए जाने की आशंका में अपराध क्रमांक 249/2024 धारा 316(3) BNS के तहत मामला पंजीबद्ध कर जांच शुरू की गई।

पुलिस की कार्रवाई, जांच और बरामदगी: एसपी दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन व एडिशनल एसपी आकाश मरकाम, डीएसपी अभिनव उपाध्याय के मार्गदर्शन पर निरीक्षक राकेश मिश्रा, थाना प्रभारी पूंजीपथरा द्वारा आरोपित तत्काल कार्यवाही करते हुए दिनांक 11.11.2024 को पुलिस ने ग्राम गेरवानी स्थित महुआ ढाबा के पास जंगल में ट्रक (क्रमांक CG 10 BM 1833) बरामद किया। ट्रक में लोड 35 मैट्रिक टन सरिया को सुरक्षित जप्त कर लिया गया। मौके पर चालक उपस्थित नहीं था, जिसकी तलाश की जा रही थी कि कल दिनांक 29.12.2024 को मुखबीर की सूचना पर पूंजीपथरा पुलिस ने आरोपी के निवास स्थान ग्राम बिजही, थाना ब्यौहारी, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश पर दबिश दी और आरोपी मुकेश साहू (पिता: श्रीराम मनोहर साहू, उम्र: 25 वर्ष) को हिरासत में लिया गया, पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया। दिनांक 31.12.2024 को सुबह 11:30 बजे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। थाना प्रभारी पूंजीपथरा निरीक्षक राकेश मिश्रा के नेतृत्व में अंजाम दिया गया। पुलिस की तत्परता और कुशल विवेचना के चलते मामला सुलझा लिया गया। रायगढ़ पुलिस की अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

कृषक उन्नति योजना से कृषक लालसाय की आर्थिक स्थिति हुई मजबूत

- बोनस राशि से खरीदा ट्रेक्टर, कहा खेती-किसानी में मिलेगा लाभ

रायगढ़

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा शुरू की गई कृषक उन्नति योजना के तहत मिलने वाली बोनस राशि से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखने को मिला कृषक लालसाय भगत के रूप में, जिन्होंने मिली बोनस राशि एवं अपनी कुछ जमा पूंजी मिलाकर प्रथम किश्त के रूप में जमा कर ट्रेक्टर खरीदा, बाकी रकम को वह धीरे-धीरे किश्त के रूप में अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि अब भविष्य में मुझे कृषि कार्य में कम लागत होने के साथ ही अधिक लाभ प्राप्त होगा। ट्रैक्टर को दूसरों को खेती-किसानी के कामों के लिए किराए से देने पर अतिरिक्त आय भी मिलेगी।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा किसानों को सशक्त बनाने के लिए कृषक हितैषी नीतियों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन नीतियों में कृषक उन्नति योजना एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुई है। 31 सौ रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी कर किसानों को उनकी मेहनत का वाजिब दाम दिया जा रहा है।

विकासखण्ड लैलूंगा के ग्राम-रूडूकेला निवासी कृषक 58 वर्षीय लालसाय भगत के पास 5 एकड़ खेत है जिसमें वे धान के अलावा गेहूं, मूंग व उड़द के फसल लगाते है। उनको खरीफ वर्ष 2023-24 में धान फसल की अच्छी उपज मिली थी, उसमें से उपज लगभग कुल 56.800 क्विंटल धान सहकारी समिति लैलूंगा में पंजीयन कर विक्रय किया था। जिसका समर्थन मूल्य 2183 प्रति क्विंटल की दर से 01 लाख 23 हजार 995 रुपये प्राप्त हुआ था एवं अंतर की राशि 917 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कुल 52 हजार 85 रुपये एकमुश्त राशि बोनस भुगतान के रूप में प्राप्त हुआ।

कृषक भगत ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कृषक उन्नति योजना की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस योजना से किसान आर्थिक उन्नति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उत्पादन के एवज में आमदनी में वृद्धि से कृषकों का आत्मविश्वास बढ़ा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में किसानों के लिए उठाए गए सकारात्मक पहलों से किसान निश्चिंत होकर खेती-किसानी कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री साय को धन्यवाद दिया है।

पुलिस का सख्त रुख: झगड़ा विवाद कर रहे तीन युवकों को चक्रधरनगर पुलिस ने प्रतिबंधक कार्यवाई कर भेजा जेल

- नववर्ष की पूर्व संध्या पर जिले में तेज गति और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर पुलिस की कार्रवाई जारी

रायगढ़

एसपी दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देशन में जिले में उडदंगियों पर पुलिस की कड़ी नजर बनी हुई है। नववर्ष की पूर्व संध्या पर जहां लोग उत्सव में मग्न होते हैं, वहीं पुलिस सुरक्षा को लेकर पूरी सतर्कता बरत रही है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों और अन्य असामाजिक गतिविधियों पर सख्ती से कार्रवाई जारी है।

सोमवार को थाना चक्रधरनगर के प्रभारी निरीक्षक प्रशांत राव को पेट्रोलिंग के दौरान पंजरी प्लांट क्षेत्र में मारपीट की सूचना मिली। पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची, जहां तीन युवक—विकास महापात्रे, मुनशाद अहमद, और रवि टोप्पो—न सिर्फ आपस में झगड़ रहे थे, बल्कि पुलिस और साक्षियों के समझाने पर भी उग्र रवैया अपनाए हुए थे। स्थिति को बिगड़ता देख थाना प्रभारी ने तीनों युवको को धारा 170 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार कर लिया और उन्हें थाना लाया गया, सभी पर धारा 170 बीएनएसएस, धारा 126/135 (3) बीएनएसएस के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय के आदेशानुसार तीनों को जेल वारंट पर जेल भेज दिया गया है।

इन पर हुई कार्रवाई- 1. विकास महापात्रे (29 वर्ष), निवासी पंजरी प्लांट, थाना चक्रधरनगर। 2. मुनशाद अहमद (23 वर्ष), निवासी पंजरी प्लांट, थाना चक्रधरनगर। 3. रवि टोप्पो (24 वर्ष), निवासी प्रेमनगर, थाना चक्रधरनगर।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ऐसे असामाजिक तत्वों पर निगरानी और कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि नागरिक नववर्ष का जश्न शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में मना सकें।

आयुष्मान कार्ड के छूटे हुए हितग्राहियों के लिए वार्डों में लगाए जा रहे शिविर

- 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का मिशन मोड में प्राथमिकता से बनाए जायेंगे आयुष्मान कार्ड

रायगढ़

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देशन एवं सीएमएचओ डॉ.चंद्रवंशी के मार्गदर्शन में रायगढ़ शहरी क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 01 से लेकर 48 तक के शहरी वार्डो में आयुष्मान कार्ड के छूटे हुये हितग्राहियों का वार्डो में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। जिसमें विशेष रूप से 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का मिशन मोड में प्राथमिकता से सभी का आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। वार्ड के हितग्राही इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए अपने वार्ड के मितानिन अथवा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क कर सकते है।

सीएमएचओ कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार रायगढ़ शहरी क्षेत्र में क्रमश: दिनांक 01 एवं 2 जनवरी 2025 को गांजा चौक, गौशालापारा, दरोगापारा एवं बैकुण्ठपुर में शिविर लगाकर कार्ड बनाया जाएगा। इसी तरह 3 एवं 4 जनवरी को बीडपारा सदर हटरी, दरोगापारा गांधीगंज, भूपदेवगंज एवं जूनाबड़पारा में, 6 एवं 7 जनवरी को बेलादुला, चक्रधर नगर बंगलापारा, कसेरपारा चक्रधर नगर, बिनोबानगर, 8 एवं 9 जनवरी को कौहाकुण्डा, छोटे अतरमुडा, नया अतरमुडा, पंजरीप्लांट, 10 एवं 11 जनवरी को जेलपारा, बाजीरावपारा, मि_मुडा, फटहामुड़ा, 13 एवं 14 जनवरी को गांधीनगर, अम्बेडकर नगर, झोपड़ीपारा, राजीवगांधी नगर नावापारा, 15 एवं 16 जनवरी को भजनडीपा, देवारपारा, रेलवे बंगलापारा एवं बूढ़ीमाई मंदिर, 17 एवं 18 जनवरी को छातामुड़ा सहदेवपाली, अमलीभौना, सराईपाली बरमुड़ा एवं पतरापाली, 20 एवं 21 जनवरी को भगवानपुर, उर्दना-कृष्णापुर, विजयपुर-गोवर्धनपुर एवं बोईरदादर में आयुष्मान कार्ड बनाया जायेगा।

जनदर्शन में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे आवेदकों ने सुनाई अपनी समस्या

- कलेक्टर गोयल ने प्राप्त आवेदनों पर त्वरित निराकरण के दिए निर्देश

रायगढ़

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने कलेक्टोरेट के सृजन सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन कार्यक्रम में सभी जिला स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति में बारी-बारी से जिले के आवेदकों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों को शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। जनदर्शन में आज जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आये आवेदकों ने अपनी समस्याओं, मांगों और शिकायतों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए।

जनदर्शन में आज ग्राम-अड़बहाल, पोस्ट-भगोरा के देवचरण पटेल विद्युत मीटर लगाए जाने के संबंध में आवेदन लेकर आए थे। उन्होंने बताया कि वे विगत 2023 में विद्युत मीटर लगाए जाने हेतु अमानत राशि 5 हजार रुपये जमा किया था। लेकिन आज पर्यन्त तक मीटर नहीं लगा है। भगवानपुर रायगढ़ के समस्त महिला गांव में चल रहे अवैध शराब, गांजा बिक्री, जुआ एवं सट्टा पर रोक लगाए जाने संबंधी आवेदन लेकर आए थे। उन्होंने बताया कि भगवानपुर वार्ड नंबर 45 नीचे बस्ती में कुछ सालों से शराब, गांजा की बिक्री तथा जुआ, सट्टा जोर-शोर से चल रहा है। जिससे वहां के रहवासी पूरी तरह से परेशान है। वहां इस तरह का माहौल होने के कारण गांव के छोटे-छोटे बच्चों पर खराब असर पड़ रहा है। साथ ही सामाजिक, आर्थिक एवं पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न हो रही है। उन्होंने कलेक्टर को इस पर शीघ्र कार्यवाही हेतु निवेदन किए।

धरमजयगढ़ के रहवासी आमापाली से बोजिया मार्ग में बिना परमिट यात्री बसों पर प्रतिबंध लगाए जाने के संबंध में आवेदन लेकर पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि विकासखण्ड धरमजयगढ़ के आमापाली से बोजिया प्रधानमंत्री सड़क में विगत कई महीनों से बिना परमिट के यात्री बस दौड़ रही है जो कि आमापाली से पुरूंगा होते हुए हाटी चौक तक चल रही है जिससे क्षेत्र के ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि आवागमन हेतु एकमात्र सड़क आमापाली से बोजिया है जो भारी वाहन के चलने से दिनो-दिन जर्जर होते जा रहा है। मुआवजा राशि दिलाये जाने संबंधी आवेदन लेकर ग्राम-तरडा की बिमलो कांटे आयी थी। उन्होंने बताया कि उनकी भूमि को केलो परियोजना हेतु अधिग्रहण किया गया है, जिसमें प्रार्थिया की भूमि भी गई है तथा प्रार्थियां को किसी प्रकार का कोई मुआवजा राशि प्रदान नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि मुआवजा राशि न मिलने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। निराश्रित पेंशन दिलाने संबंधी आवेदन लेकर बोईरडीह ग्राम-पंचायत बिंजकोट के घुराऊ राम चौहान आये थे। उन्होंने कहा कि उनकी उम्र 61 वर्ष है और वृद्ध होने के कारण कही आने-जाने और कुछ काम करने में दिक्कत हो रही है। ऐसी अवस्था में निराश्रित पेंशन ही जीवन-यापन का सहारा है। उन्होंने कलेक्टर से निराश्रित पेंशन दिलाए जाने हेतु निवेदन किया। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने जनदर्शन में प्राप्त सभी आवेदनों को संबंधित विभागीय अधिकारियों समय-सीमा में प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480